



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-02
{धारा 4(1)(ख)(2)}

सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

1. प्रस्तावना

यह मैनुअल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b)(ii) के अनुपालन में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदगत शक्तियों, वैधानिक दायित्वों, प्रशासनिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सपष्ट एवं पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना है।

विभगीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने पद से संबंधित कार्यों का निष्पादन निम्न नियम, अधिनियम तथा शासनादेशों के अधीन किया जाता है।—

- उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003;
- उसके अधीन निर्मित नियमावली;
- सहकारी समितियों की स्वीकृत उपविधियां;
- शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश/अधिसूचनाएं/निर्देश;
- निबंधक, सहकारी समितियां द्वारा जारी आदेश/परिपत्र;
- वित्तीय एवं सेवा संबंधी लागू नियम;
- तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधान।

यह मैनुअल किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता जो उसे मूल अधिनियम, नियम, वैध शासनादेश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक रूप से प्राप्त न हो।

2. निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की प्रमुख शक्तियां एवं कर्तव्य—

निबंधक, सहकारी समितियां विभाग के प्रमुख वैधानिक/प्रशासनिक अधिकारी हैं तथा अधिनियम एवं नियमों के अधीन उनके निम्नवत् प्रमुख शक्तियां एवं कर्तव्य हैं—

1. सहकारी समितियों से संबंधित वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निबंधक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
3. सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन, पर्यवेक्षण एवं विकास से संबंधित कार्यों का निर्देशन।
4. अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक एवं वैधानिक दिशा-निर्देश प्रदान करना।
5. अधिनियम/नियमों के अंतर्गत अपेक्षित मामलों में आदेश पारित करना।
6. सहकारी समितियों से संबंधित जांच, निरीक्षण, निर्वाचन विवाद एवं अन्य वैधानिक कार्यवाहियों का अधिनियम/नियमों के अनुसार पर्यवेक्षण।
7. विभगीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा।
8. शासन द्वारा संदर्भित मामलों पर आवश्यक कार्यवाही/आख्या प्रस्तुत करना।
9. अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण।
10. विधि एवं शासनादेशों के अनुरूप विभगीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

3. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य-कलापों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान कार्यकलाप	परिवर्तित कार्यकलाप
1	अपर निबन्धक/संयुक्त निबन्धक	1- सम्बन्धित योजना के अधीन क्रियान्वयन किये जाने वाले समस्त कार्य। 2- आवंटित मण्डल के अन्तर्गत अभिनिर्णयों का निस्तारण। 3- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन। 4- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा आवंटित कार्य।	1- सम्बन्धित योजना के अधीन क्रियान्वयन किये जाने वाले समस्त कार्य। 2- आवंटित मण्डल के अन्तर्गत अभिनिर्णयों का निस्तारण। 3- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन। 4- निबन्धक द्वारा तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
2	उप निबन्धक	1- मण्डल में स्थित सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों के तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।	1- मण्डल में स्थित सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उप नियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों के तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
3	सहायक निबन्धक	1-जनपद में स्थित सहकारी समितियों के नियन्त्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2- निबन्धक तथा	1- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उप नियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2-निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
4	अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-1	तहसील स्तर पर सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अनुपालन कराना, ऑडिट, सहकारी समितियों के पुर्नगठन, आर्बीट्रेशन, शिकायतों की जाँच, अधीनस्थ विकास खण्ड में नियुक्त विभागीय कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, सहकारी समितियों में कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	1- तहसील स्तर की समस्त सहकारी समितियों का निरीक्षण, अभिनिर्णय करना तथा उनका अनुपालन। 2- विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की जाँच। 3-सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत समितियों की जाँच एवं अन्य कार्य करवाना। 4- सहकारी एवं राजकीय देयों की वसूली करवाना। 5- तहसील स्तर नियुक्त अधीनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण। 6-समितियों के उपभोक्ता एवं कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। 7- उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य।
5	सहायक विकास अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 (सहकारिता)	विकासखण्ड में स्थित समस्त प्रकार की सहकारी समितियों का वर्ष में 4 बार निरीक्षण करना, ऋण सत्यापन, ऑडिट परिपालन, अभिनिर्णय, वार्षिक संकलन तैयार करना, उच्चाधिकारियों के निरीक्षणों का अनुपालन कराना, उपभोक्ता व्यवसाय कराना, कृषि निवेशों की आपूर्ति निश्चित करवाना, सहकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना, नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों पर वैधानिक कार्यवाही करना, समितियों की बैठक में भाग लेना, किसान सेवा केन्द्रों का संचालन अन्य कार्य जो विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर आवंटित किये जाये।	1-निरीक्षण एवं ऑडिट परिपालन 2- अभिनिर्णय एवं सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत जाँच। 3- सत्यापन। 4- सहकारी समितियों के उत्थान एवं स्वाश्रयिता के लिए आवश्यक सुझाव एवं उनका क्रियान्वयन। 5- विकास खण्ड सैक्टर में आवंटित कार्य। 6- सहकारी समितियों से सम्बन्धित विविध कार्य। 7- उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य।

सहकारी समितियों का निरीक्षण, सहकारी समितियों के गठन के पर्यवेक्षण प्रस्ताव, समितियों की ऋण सीमाओं का प्रस्तुतीकरण, समिति द्वारा वितरित ऋण का सत्यापन, सहकारी देयों की वसूली, राजकीय देयों की वसूली, समितियों में वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक कराना, ऑडिट एवं निरीक्षण का अनुपालन, समितियों के वार्षिक अभिलेखों का तैयार कराना, किसान सेवा केन्द्रों में नियमित भाग लेना, सहकारी समितियों में सदस्यता तथा साधन वृद्धि करना।

- 1-निरीक्षण एवं ऑडिट।
- 2-सदस्यता वृद्धि, साधन वृद्धि करना।
- 3-ऋण सत्यापन।
- 4-राजकीय एवं सहकारी देयों की वसूली।
- 5-समितियों के वार्षिक अभिलेखों को तैयार करना।
- 6- किसान सेवा केन्द्रों तथा ग्राम पंचायतों की बैठक में भाग लेना।
- 7- उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आवंटित कार्य।

1. विनिश्चय प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम

निर्णय की प्रक्रिया :-

1- विभिन्न स्तर से प्राप्त जनता के शिकायती पत्रों के सन्दर्भ में जांच एवं निस्तारण की प्रक्रिया प्रायः शिकायती पत्रों की स्वयं जांच करना या अधीनस्थ को जांच हेतु अधिकार देना, जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा संबन्धित को सुनवाई का अवसर देना जांच से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/एफ.आई.आर./वसूली की कार्यवाहियां सम्पादित करवायी जाएं।

2- सहकारी संस्थाओं के किसी सदस्य तथा समिति के मध्य विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में धारा 70 की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः प्राप्त प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार मध्यस्थ/मध्यस्थ ऋण नियुक्त करना तथा मध्यस्थ/मध्यस्थ ऋण द्वारा निस्तारण संबन्धित पत्रों को सुनवाई का अवसर देना तथा पत्रों द्वारा प्रस्तुत लेख्य साक्ष्यों व बयानों के आधार पर मध्यस्थ द्वारा विवाद में निर्णय देना।

3- सहकारी संस्थाओं के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के कृत्यों के कारण संस्था को क्षति पहुँचाये जाने के सन्दर्भ में जांच एवं जांचानुसार निर्णय धारा 65 के अन्तर्गत जांच अधिकारी को जांच के आदेश, जांच अधिकारी की आख्यानानुसार क्षति की स्थिति में धारा 68 के अन्तर्गत अधिकार के आदेश अथवा धारा 70 की कार्यवाही के निर्देश।

नियम 247 के अन्तर्गत विवाद में निर्देश:-

(1) - यदि विवाद सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश-

(क)- जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्गस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो।

(ख)- मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो।

(ग)- सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्गस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो।

(घ)- यदि निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्गस्त सम्पत्ति को मूल्य या दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

(2) यदि विवाद प्रबन्ध समिति के गठन या किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बन्धित हो तो निर्देश किया जायेगा।

(3)- यदि विवाद उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में न हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उपनिबन्धक/मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा।

नियम 248 के अन्तर्गत निर्णय की प्रक्रिया:-

248 : नियम 247 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर-

(क)- जिला सहायक निबन्धक विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है, किन्तु शर्त यह है कि-

1- यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2 की श्रेणी से नीचे का न हो या जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2 के पद से सेवा निवृत्त हुआ हो।

2- यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक, किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक न हो, तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 की श्रेणी से नीचे का न हो।

(ख)- मण्डल का उप निबन्धक या मुख्यालय का उप निबन्धक, यथास्थिति, विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है। अथवा यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है।

(ग)- अपर निबन्धक विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है अथवा यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के समूह "क" के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो।

(घ)- धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया निबन्धक, सहकारी समिति विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है, अथवा यथास्थिति, ऐसा मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष इसके लिए नियुक्त कर सकता है।

(ङ)- जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के तहत निबंधक के दायित्व एवं वैधानिक अधिकार का संक्षिप्त मानचित्र

क्र.	दायित्व/कार्य का क्षेत्र	निबंधक का प्रमुख कर्तव्य/कार्य	प्रमुख वैधानिक आधार
1	समितियों का पंजीकरण	सहकारी समिति एवं उसकी उप-विधियों के पंजीकरण हेतु आवेदन का परीक्षण एवं पंजीकरण	अधिनियम, 2003 – धारा 7 आदि
2	उप-विधियों का परीक्षण	प्रस्तावित/संशोधित उप-विधियों को अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप देखना तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना	अधिनियम/नियमावली एवं उप-विधियां
3	समितियों का पर्यवेक्षण	समितियों के कार्यकलापों में अधिनियम, नियमावली एवं पंजीकृत उप-विधियों के अनुपालन का पर्यवेक्षण	अधिनियम, 2003
4	सामान्य वैधानिक नियंत्रण	अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समितियों के विधिसम्मत संचालन को सुनिश्चित करना	अधिनियम, 2003
5	लेखा-परीक्षण	समितियों के खातों का नियमानुसार audit करवाना एवं audit संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना	धारा 64
6	जांच (Inquiry)	समिति के गठन, कार्यप्रणाली एवं वित्तीय स्थिति की जांच कराना	धारा 65
7	अभिलेखों की जांच	आवश्यकतानुसार समिति की books, accounts, records एवं documents का निरीक्षण/जांच कराना	अधिनियम/नियमावली
8	दोषों का निवारण	Audit/Inquiry में पाए गए दोषों/अनियमितताओं के निवारण हेतु वैधानिक निर्देश देना एवं अनुपालन देखना	अधिनियम, 2003
9	आपातकालीन कार्यवाही	अभिलेख, धन या सम्पत्ति के दुरुपयोग/नष्ट होने की आशंका में वैधानिक संरक्षणात्मक कार्यवाही करना	धारा 37
10	पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	अधिनियम/नियम/उप-विधि के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना	धारा 38 आदि
11	प्रशासक की नियुक्ति	अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों में समिति के प्रबंधन हेतु Administrator/Committee of Administrators की नियुक्ति	अधिनियम, 2003
12	सहकारी विवाद	अधिनियम में विनिर्दिष्ट विवादों को प्राप्त कर उनका वैधानिक निपटान करना अथवा मध्यस्थ/Arbitrator को संदर्भित करना	धारा 70–71
13	विवाद की प्रकृति का निर्धारण	यह निर्धारित करना कि कोई विवाद समिति के constitution, management अथवा business से संबंधित है या नहीं	धारा 70
14	आवार्ड/आदेश	विवादों में पारित award/order से संबंधित वैधानिक कार्यवाही एवं प्रवर्तन की व्यवस्था	धारा 71 एवं संबंधित प्रावधान
15	अवैध प्रस्ताव/आदेश	समिति की ऐसी resolution/order को, जो अधिनियम, नियम या उप-विधियों के विपरीत हो, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरस्त करना	धारा 126
16	वित्तीय अनुशासन	समिति की वित्तीय स्थिति, लेखे, देयताओं एवं सम्पत्तियों से संबंधित वैधानिक निगरानी	अधिनियम/नियमावली
17	कर्मचारी संबंधी विनियम	अधिनियम के अधीन निर्धारित विषयों पर कर्मचारियों की सेवा-शर्तों आदि से संबंधित regulations बनाने की वैधानिक भूमिका	धारा 121
18	परिसमापन (Liquidation)	अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों में समिति के winding-up/liquidation की प्रक्रिया में वैधानिक कार्यवाही	अधिनियम/नियमावली
19	परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का निपटान	परिसमापन के दौरान समिति की सम्पत्तियों एवं देनदारियों के वैधानिक निपटान की निगरानी	अधिनियम/नियमावली
20	निर्वाचन संबंधी भूमिका	लागू सहकारी निर्वाचन कानून/नियमों तथा सक्षम निर्वाचन प्राधिकारी के अनुसार निर्धारित भूमिका का निर्वहन	लागू निर्वाचन कानून/नियम
21	अधीनस्थ अधिकारियों का नियंत्रण	निबंधक के अधीन कार्यरत अधिकारियों को वैधानिक/प्रशासनिक दिशा-निर्देश एवं पर्यवेक्षण प्रदान करना	अधिनियम, 2003 एवं शासनादेश
22	वैधानिक अनुपालन	सहकारी समितियों से अधिनियम, नियमावली एवं उप-विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना	अधिनियम/नियमावली
23	सहकारिता व्यवस्था का संरक्षण	सहकारी समितियों की स्वायत्ता को बनाए रखते हुए उनके विधिसम्मत, पारदर्शी एवं उत्तरदायी संचालन का पर्यवेक्षण	स्वायत्त अधिनियम, 2003

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के तहत निबंधक की शक्तियों का प्रयोग

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता विभाग

संख्या 1030/XIV-1/2007

देहरादून: दिनांक: 25 अक्टूबर 2007

अधिसूचना

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनी उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए, निबंधक की शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किये जाने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के मुख्यालय पर अपर निबंधक या उक्त मुख्यालय पर सहकारी समितियों के उप निबंधक का तत्समय पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, दुग्ध एवं गन्ना सहकारी समितियों/संघों को छोड़कर, अन्य समस्त वर्ग या वर्गों अधवा अन्य रूपों, प्रकार या प्रकारों की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में, जो निबंधक के आदेश द्वारा ऐसे अपर निबंधक या उप निबंधक के प्रभार में दी गई हैं, उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन निबंधक की शक्तियां प्रयोग करेगा;

परन्तु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 14, 16(क) तथा 16(ख) और उक्त नियमावली के नियम 30, 31, 32 एवं 33 के अधीन शक्तियों को उप निबंधक, किसी शीर्ष सहकारी समिति या केन्द्रीय सहकारी समिति के सम्बन्ध में, प्रयोग नहीं करेगा तथा नियम 140, 141 और 142 के अधीन शक्तियों का, किसी शीर्ष सहकारी समिति के सम्बन्ध में, प्रयोग नहीं करेगा।

(2) मुख्यालय में तैनात उप निबंधक, सहकारी समितियां का पद धारण करने वाला व्यक्ति, सम्बन्धित अधिकारिता के क्षेत्र में, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन गठित नियमों के अधीन निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करेगा;

परन्तु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 14, 16(क) तथा 16(ख) और नियम 30, 31, 32 एवं 33 के अधीन शक्तियों का उक्त उप निबंधक, किसी शीर्ष सहकारी समिति या केन्द्रीय सहकारी समिति के सम्बन्ध में, प्रयोग नहीं करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा उक्त नियमावली

के नियम 140, 141 और 142 के अधीन शक्तियों का, किसी शीर्ष सहकारी समिति के सम्बन्ध में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(3) तत्समय जिला मजिस्ट्रेट का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, शीर्ष समिति से भिन्न अन्य सहकारी समितियों की, जिसका मुख्यालय उस जिले में है, प्रबन्ध समिति के गठन या उसके किसी प्रतिनिधि या पदाधिकारी के चुनाव या नियुक्ति से सम्बन्धित विवादों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 70, 71 व 98 के अधीन निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) तत्समय उत्तराखण्ड सहकारी समितियों के जिला सहायक निबन्धक का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, निबन्धक की निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा:-

(एक) जिले में शीर्ष समितियों से भिन्न अन्य सहकारी समितियों के संबंध में जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारिता क्षेत्र में है, उक्त अधिनियम की धारा 32, 33, 37, 66, 67, 69 तथा 103 एवं उक्त नियमावली के नियम 100, 151 तथा 308 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां,

(दो) सभी सहकारी समितियों के संबंध में, जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में है, उक्त अधिनियम की धारा 70, 71, 98 तथा 109 और उक्त नियमावली के नियम संख्या 333 (ग), 352, 353, 357, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398 तथा 399 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां, और

(तीन) उन प्रारम्भिक सहकारी समितियों के संबंध में, जिनका मुख्यालय उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में है, उक्त अधिनियम की धारा 27, 29, 31, 65, 68, 74, 91, 92, 95 (क) तथा 125 व उक्त नियमावली के नियम संख्या 42, 43, 55, 56, 57, 86, 106, 107, 140, 141, 170, 197, 210, 231, 232, 233, 242, 426, 427, 433, नियम 450 के उप नियम (4), (5), (7) व (8), नियम 476, 477 तथा 491 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां ;

परन्तु यह कि जिला सहायक निबन्धक द्वारा नगरीय सहकारी बैंकों में, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (5) के खण्ड (ख), धारा 31, 37, 65, 67, 68, 69, व 125 तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 42, 86, 140, 141, 170, 197, 210, 386, 387, 426, 427, 476, 477 एवं 491 की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये गये किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निबन्धक के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अपील सुनने की शक्तियाँ निम्न प्रकार से निम्नांकित द्वारा प्रयोग की जायेगी:-

(एक) उक्त अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी अभिनिर्णय के विषय में, वह अधिकारी, जिसमें उसका उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है, जिसने, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल की नियुक्ति की है,

(दो) उक्त अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी निर्णय के सम्बन्ध में :-

(क) सम्बन्धित अपर निबन्धक, सहकारी समिति-शीर्ष समिति से सम्बन्धित विवाद के लिए ;

(ख) उप निबन्धक (मुख्यालय)-केन्द्रीय सहकारी समिति से संबंधित विवाद के लिए, जिसका मुख्यालय उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में है ;

(ग) जिले के जिला सहायक निबन्धक-प्रारम्भिक सहकारी समिति से सम्बन्धित विवाद के लिए जिसका मुख्यालय उनकी अधिकारिता के क्षेत्र में है ;

(तीन) उक्त अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विषय में -

(क) उप निबन्धक (मुख्यालय), जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में समिति का मुख्यालय स्थित है, यदि परिसमापक उक्त अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिला सहायक निबन्धक के नियन्त्रण में है।

(ख) सम्बन्धित अपर निबन्धक, जहां परिसमापक उक्त अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले उप निबन्धक (मुख्यालय) या निबन्धक के मुख्यालय में नियुक्त अपर निबन्धक के नियन्त्रण में है।

(6) धारा 70 में निबन्धक को विवाद निर्दिष्ट करने की शक्ति तथा उक्त अधिनियम की धारा 71 में इन विवादों पर निर्णय करने की शक्ति, उक्त नियमावली के नियम 247 तथा 248 के अनुसार प्रयोग की जायेगी।

पी० के० महान्ति
सचिव।

संख्या /030(1)/XIV-1/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4-निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5-समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 6-महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8-निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 9-निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 11-निजी सचिव, मा० सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 12-अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 13-समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 14-उप निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस रुड़की को अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से, कि वह इस अधिसूचना की 200 प्रतियां असाधारण राजपत्र के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 15-समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा) 25/11/07
अपर सचिव।